happens to be the case of Prof. Nurul Hasan. I would ask the Minister, in view of the fact that Ministers later on come before Parliament and say, 'yes, I gave a certificate, I gave a recommendatory letter, but I did not know...', would he assure us—either the Home Minister or the Prime Minister—that they will circulate a letter to all Central Ministers not to give recommendatory letters to foreign spies and smugglers without prior consultation ?

SHRIMATI INDIRA GANDHI : Mr. Chairman, Sir, the hon. Member will get annoyed if I say that he has misrepresented the facts. So far as I know—I speak subject to correction— I do not now remember exactly what Mr. Mirdha said in the House ...

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : She was present here.

SHRIMATI INDIRA GANDHI : I may have been, but I do not now recall exactly what he said..(*Interruptions*). But I do remember that an inquiry was made into this matter. I was informed that the P. A. of Prof. Nurul Hasan was the victim of some fraud or cheating, and that he was not involved in espionage.

श्री रबी राय : यही सवाल जब मैंने पूछा था तब मंत्री महोदय ने जवाब क्यों नही दिया ? उस वक्त वह चुप क्यों रहे ?

SHRIMATI INDIRA GANDHI : My colleague has said very clearly that he has no information with him just now. बता कैसे सकते थे जब मालूम नही था ।

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY : It was admitted—the Prime Minister's memory may be refreshed—that the Minister did write a letter for this particular spy to stay in the U.P. Guest House. There is another Minister who has said that he wrote a recommendatory letter for a smuggler. My question was, will the Prime Minister instruct her Ministers not to write recommendatory letters in this indiscreet way and to exercise a great deal of discretion in future ?

MR. CHAIRMAN : She will look into it.

श्री राजनारायण : जब प्राइम मिनिस्टर या किसी मिनिस्टर का प्राइवेट सेक्रेटरी किसी मामले में फस जाए तो उन पर किसी प्रकार का आक्षेप आता है या नही ?

SHRI RABI RAY : It is a slur on the Minister himself.

श्री राजनारायण : जब किसी मिनिस्टर का पी० ए० एसपिएनेज में फसा हुआ है तो क्या इसका यह मतलब नही है कि मत्री जी एसपिएनेज करवाते है ?

SHRIMATI INDIRA GANDHI : I have made that position clear.

†Transfer of the Irrigation Headworks at Rupar, Harika and Ferozepur to Bhakra Management Board

*441. SHRIMATI LAKSHMI KUMARI CHUNDAWAT . Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that under the Punjab Reorganisation Act the administration including maintenance and operation of the Irrigation Head-works at Rupar, Harika and Ferozepur are required to be under the control of Bhakra Management Board;

(b) If so, for what reasons the Head-works are under the control of the Punjab Government; and

(c) by when the Head-works are proposed to be transferred to the Bhakra Management Board ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF ENERGY (PROF. SIDDHESHWAR PRASAD) : (a) Yes Sir.

(b) and (c) The Punjab Government, who were exercising control over these Head-works prior to the re-organisation of the Punjab and are continuing to exercise such control, have raised some points in connection with the transfer of the Head-works to the Bhakra Management Board, as envisaged in the Punjab Reorganisation Act. These points are under consideration

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : मैं यह जानना चाहती हूं कि जब पजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 में पास हुआ और उसमें यह स्पष्ट कहा गया कि

"The Central Government shall constitute a Board to be called the Bhakra Management Board for the administration, maintenance and corporation of the following work."

और इसके साथ साथ नाम भी साफ दिये हुए है the Irrigation Head-works at Rupar, Harika and Ferozepur.

ऐसी हालत मे इस एक्ट को पास हुए 8 साल हो गये तो इन सारे कामों का इतजाम भाखड़ा मैनेजमैंट

† Transferred from the 4th December, 1974.

बोर्ड को क्यों नहीं दिया गया जब कि इसमें राजस्थान का हिस्सा 75 परसेन्ट है और पंजाब का केवल 25 परसेन्ट है ? मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहती हूं कि पंजाब द्वारा राजस्थान को पूरा हिस्सा क्यों नहीं दिया जा रहा है जब कि राजस्थान बराबर इसके बारे में कह चुका है और राजस्थान को उसका पूरा हिस्सा न देने की वजह से जो नुकसान हो रहा है, उसके संबंध में एक दो साल के आंकड़े मैं पेश करूंगी। सन् 1972 में राजस्थान को 963 एकड फीट पानी कम दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि 21 मिलियन टन फूड राजस्थान में कम पैदा हुआ। सन् 1974 में 34 एकड़ फीट कम पानी राजस्थान को दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि 37 हजार टन प्रोडक्शन राजस्थान में कम हुआ और राजस्थान सरकार की आमदनी 2 करोड़ 62 लाख कम हुई और इतना बड़ा उनको नुकसान हुआ। आप जानते हैं कि राजस्थान एक डेजर्ट का एरिया है। मैं फिर यह जानना चाहती हूं कि जब एक एक्ट बन चुका है तो यह काम मैनेजमेन्ट बोर्ड को क्यों नहीं सौंपा गया है ?

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया है कि कानून बनने के बाद भी रोपड़, हरिका और फिरोजपुर स्थित हैडवर्क्स पंजाब सरकार से भाखड़ा मैनेजमेन्ट बोर्ड को हस्तांतरित नहीं किया गया है। पंजाब सरकार ने इसके बारे में कुछ ऐसी बातें भारत सरकार के सामने रखी हैं जिनके संबंध में हमारी यह कोशिश है कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों की आपस में बातचीत से यह मामला तय हो। आज भी हम इसी बात की कोशिश कर रहे हैं कि यह मामला आपसी बातचीत के जरिए तय हो जाय। दूसरी तरफ भारत सरकार बराबर इस बात का भी ख्याल कर रही है कि हैडवर्क्स का नियंत्रण पंजाब के हाथों से हटाकर भाखड़ा मैनेजमेन्ट बोर्ड को सौंपा जा सके ताकि राजस्थान आदि किसी भी दूसरे राज्य को किसी प्रकार की कोई कमी न हो।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि जब एक एक्ट बन चुका है तो फिर चीफ मिनिस्टरों में आपस में बातचीत का सवाल कहां पैदा होता है। जब कैबिनेट में यह सवाल आया तो प्रधान मंत्री ने कहा कि चीफ मिनिस्टर आपस में बात करें, लेकिन पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने आज तक बात नहीं की है और पंजाब के दबाव में आकर राजस्थान को न्याय नहीं मिल रहा है।

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : श्रीमन्, पंजाब के दबाव में आने की कोई बात नहीं है। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, हम इस बात की फिर कोशिश करेंगे कि उन मुख्य मंत्रियों की शीघ्र से शीघ्र दूसरी बैठक बुलाई जाए और इस मामले को शीघ्र से शीघ्र निपटाया जाए।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : महोदय, यह जो प्रश्न है काफी गंभीर है और यह केवल पंजाब और राजस्थान के बीच झगड़े का सवाल नहीं है लेकिन पूरे देश में 100 से ज्यादा नदी पानी के विवाद आज चालू हैं और इस वजह से हमारे देश का आर्थिक विकास, अन्नोत्पादन का कार्यक्रम और जो कृषि के विकास के कार्यक्रम हैं उनमें भी रुकावट पैदा हो रही है, इसलिए इस पृष्ठभूमि के लिहाज से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्रीय शासन इस बारे में विचार कर रहा है कि कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे कि ये जो रिवर वाटर है उनको राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित किया जाए और केन्द्र के द्वारा ही उनका संचालन हो जिससे कि जो प्रकृति के द्वारा दिया गया साधन है उससे देश को पूरा लाभ मिल सके ? इस प्रकार की कोई योजना या कोई विचार केन्द्रीय शासन के सामने है या नहीं ?

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : श्रीमन्, जहां तक जल को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करने की बात है इस संबंध में भारत सरकार ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है। राज्य सरकारें इस बात पर विचार कर रही हैं। जब उनकी प्रतिक्रिया भारत सरकार के सामने आ जाएगी तब फिर राज्य के जो सिंचाई मंत्री हैं उनकी बैठक में इस बात पर विचार किया जा सकता है।

श्री भैरों सिंह शेखावत : इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पंजाब रिआर्गेनाइजेशन ऐक्ट के अनुसार इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि इन हैडवर्क्स को बी० एम० बी० को ट्रांसफर किया जाए, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की अब क्या राय है ? क्या केन्द्रीय सरकार उस ऐक्ट को इम्प्लीमेंट कराना चाहती है या नहीं कराना चाहती है या इसको इम्प्लीमेंट कराने में किसी प्रकार का संशोधन करना चाहती है ? साथ में मैं यह भी जानना चाहूंगा कि श्रीनगर में जो जोनल कांफरेंस हुई थी क्या यह सही है कि उस कांफरेंस के अंदर पंजाब के मुख्य मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि कानून की दृष्टि से ये तीनों हैडवर्क्स बी० एम० बी० को ट्रांसफर किए जाने चाहिएं लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिफिकल्टीज हैं जिनको शीघ्र ही रिमूव्ह करके उन तीनों को ट्रांसफर कर दिया जाए ?

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : श्रीमन्, पंजाब या दूसरे राज्यों के मुख्य मंत्रियों की जो जोनल बैठक हुई उसके ब्यौरे की मुझे जानकारी नहीं है लेकिन यह बात सही है कि जो पंजाब रिआर्गेनाइजेशन ऐक्ट बना था उसके मुताबिक रोपड़, हरिका और फिरोजपुर के जो 3 हैडवर्क्स हैं उनको भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड को ट्रांसफर किया जाना था और यह भारत सरकार ने नहीं कहा है कि इस मामले में विचार में कोई परिवर्तन हुआ है। लेकिन जैसा कि हमने बताया है यह मामला विचाराधीन है जिसका अर्थ यह है

कि हम इस बात की कोशिश कर रहे है कि बातचीत से इसका रास्ता निकालें ।

श्री भैरों सिंह शेखावत : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मैंने केवल यही पूछा है कि सरकार ने इस संबध में कानून बनाया था और उस पर सरकार की ओपिनियन थी, तो क्या सरकार की ओपिनियन आज भी वैसी ही है और उस कानून का पालन करवाना चाहिए ।

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : मैंने तो कहा है, हम चाहते हैं जो कानून बना था रिआर्गेनाइजेशन एक्ट के मातहत उसको कार्यान्वित किया जाए ।

श्री नत्थी सिंह : क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि ये जो हैडवर्क्स है इन को बनाने मे राजस्थान सरकार ने सबसे ज्यादा हिस्सा दिया है और इसके बाद जो 8 मिलियन एकड़ के लिए जो पानी मिलना चाहिए था वह न मिलने के बाद बार बार राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से कहा कि सारी दिक्कतों को दूर करते हुए कब तक इसको भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड को देंगे ?

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : यह कहना कठिन है कब तक इसको भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड को दिया जाएगा लेकिन हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस बात का फैसला हो । जहां तक खर्च का सवाल है, जो जो राज्य सरकारें भाखड़ा से जल लेती है उन सभी राज्य सरकारों ने खर्च दिया था । किसी ने ज्यादा दिया, किसी ने कम दिया, इसका सवाल नहीं पैदा होता है ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : अभी मंत्री महोदय ने कहा कि हमारी जोनल कौंसिल में क्या हुआ मुझे पता नहीं । मैं माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिए कहूंगा, वे प्रधान मंत्री जी से पूछ ले कि 28 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी 1972 में वह प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और यह प्रश्न उस मीटिंग मे उठा था । प्रधान मंत्री ने स्वयं निर्देश दिया था कि इरिगेशन मिनिस्टर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर्स से मिलकर, इस मामले को तुरंत सुलझाए । अब 2 साल हो गए, इस अवधि के अंदर आपने कब मीटिंग की, मीटिंग बुलाई कि नहीं बुलाई ? प्रधान मंत्री ने स्वयं निर्देश दिया था इरिगेशन मिनिस्टर को जब उनकी जानकारी में यह बात आई कि हरियाणा और राजस्थान से शिकायतें आई है । तो क्या यह मामला परसू हो रहा है या नहीं ? प्रधान मंत्री ने आखिर इस मामले को देखा होगा और आप कहते है मुझे पता नहीं । एक ऐसा मामला जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने आपको डाइरेक्ट किया उसके बारे मे सदन में कहना कि उसकी जानकारी नहीं, यह उचित नहीं लगता । इसलिए क्या फर्दर कार्यवाही हुई यह बताने का कष्ट करें ?

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : यह मैंने नहीं कहा कि मुझे पता नहीं है । मैंने यह कहा था कि इस मीटिंग मे क्या बातचीत हुई थी, उसका ब्यौरा मेरे पास नहीं है ।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : प्रधान मंत्री जी मंत्री महोदय को कह दे कि क्या बातचीत हुई और वे इस बारे मे उन्हें सुझाव दे दे ।

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : श्रीमन्, जहां तक इन हैडवर्क्स को भाखड़ा मैनेजमेंट को ट्रांसफर करने की बात है, पिछले वर्ष पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों की आपस में कई बातचीत हुई थी और भारत सरकार के बिजली तथा सिंचाई मंत्री ने भी इन मुख्य मंत्रियों से कई बार बातचीत की है । मैंने जैसा अभी कहा है, शीघ्र ही मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाने वाले है और उसमें इस बारे मे बातचीत की जायेगी ।

SHRI KRISHAN KANT : Mr. Chairman, Sir, through you I want to say that the situation about this problem is that Ministers come and go, problems remain as ever. This is a repeat performance of my friend Prof. Siddheshwar Prasad. He was a Minister of Irrigation & Power earlier when I had raised this question. His senior Dr. K. L. Rao, who was sitting here, said, "I can assure Mr. Krishan Kant that I am meeting the Chief Ministers this evening and a decision will be taken soon." But the problem remained as such. May I know from the hon'ble Minister whether he wants a repeat performance after five years and the problem will remain as such ? The law is clear. May I know from the hon'ble Minister as to what is standing in the way ? Law should be implemented. If Punjab or Haryana have some difficulties, those can be sorted out, but why the implementation of the law is taking so much time ? May I know from the hon'ble Minister whether he can give us a date by which this decision will be taken and the law of the land will be implemented ?

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : जैसा मैंने अभी कहा कि यह कहना कठिन है कि किस तारीख तक यह बात तय कर दी जायेगी और झगड़े का निबटारा कब तक हो जायेगा ? इस काम में विलम्ब होने का कारण यह है कि आपस में जो मतभेद है; हम चाहते है कि उन मतभेदों को आपस मे बातचीत करके निबटारा कर लिया जाये ।

जहा तक पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट का सम्बन्ध है, कई बाते इस सम्बन्ध मे उठी है और हम यह चाहते है कि इन बातों का आपस में बातचीत करके निबटारा हो जाए ।

SHRI N. G. GORAY : Sir, I would like to point out that this question really raises an issue of general policy so far as irrigation is concerned. What is happening in this case is happening in so many cases. If this question is left to be decided by the Chief Ministers of various States, it is not going to be decided at all. Therefore, Sir, I would request the Government to consider whether it will be possible for them to treat this as a national issue, and take these issues out of the hands of the Chief Ministers, and establish River Authorities so that they can deal with this problem and the Chief Ministers need not play to the gallery ?

MR. CHAIRMAN : This is a suggestion for action for the Government to consider. Would the Prime Minister want to say anything ?

THE PRIME MINISTER AND MINISTER OF ATOMIC ENERGY (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : Sir, I am only saying to hon'able friend opposite that these are very complicated matters, and merely having tribunal or some other body is not going to rid us of the difficulties. The difficulties are local, whether it is Chief Minister who deals with them or somebody else. And that is why, while I fully appreciate the hon'ble Member's desire that it should be expedited—and I sincerely hope that it will be; we will do everything we can to expedite the decision—the hon'ble Members should appreciate that when there are complex matters, sometimes by taking a quick decision, we create some other problems. We have to avoid that.

डाक जीवन बीमा योजना

*614. **श्री सुब्रमण्यम स्वामी :** †
श्री जगदीश प्रसाद माथुर :
श्री ओम् प्रकाश त्यागी :
डा० रामकृपाल सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) डाक जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के प्रीमियमों की दरें क्या हैं और यह दरें किस किस तारीख को और किस आधार पर निश्चित की गई थी ;

(ख) गत तीन वर्ष में से प्रत्येक वर्ष मे पालिसी होल्डरों को कितना बोनस दिया गया ;

(ग) प्रीमियम और बोनस की ये दरें जीवन बीमा निगम के प्रीमियम और बोनस की दरों से कितनी भिन्न है ;

(घ) क्या सरकार डाक जीवन बीमा योजना को सभी भारतीय नागरिकों के लिये लागू करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

†[**Postal Life Insurance Scheme**

*614. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY:
SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR :
SHRI O. P. TYAGI :
DR. RAMKRIPAL SINHA :

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) the rates of various kinds of premia under the Postal Life Insurance Scheme together with the dates when these rates were fixed and the basis on which these were fixed;

(b) the amount of bonus allowed to policy holders during each of the last three years;

(c) how do these rates of premia and bonus differ from those of the Life Insurance Corporation;

(d) whether Government propose te extend the Postal Life Insurance Scheme to all the Indian citizens; and

(e) if so, by when and if not, the reasons therefor?]

संचार मन्त्री डा० शंकरदयाल शर्मा : (क) से (ङ) तक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) डाक जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की किश्तों की दरें अनुबंध में दे दी गई है। संपूर्ण जीवन बीमा और मियादी बीमा पालिसियों के लिए संशोधित किश्त की दरें जो तालिका-I और II में दी हुई हैं, अप्रैल, 1967 में निश्चित की गई थीं। [**देखिए** परिशिष्ट 90, अनुपत्र सं०..76 और 77..] तालिका-III के अन्तर्गत दिखाई गई परिवर्तनीय संपूर्ण जीवन बीमा पालिसियों के लिए किश्त-दरें 1 सितम्बर, 1971 से लागू की गई है। [**देखिए** परिशिष्ट 90, अनुपत्र सं०..78]

†The Question was actually asked on the floor of the House by Shri Subramanian Swamy.

†[ ] English translation.